हिलसा के मेडिकल शॉप पर छापेमारी कर नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन जब्त

हिलसा (नालंदा) (आससे)। प्रशासन ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिलसा थाना क्षेत्र के वरुणतल स्थित माया मेडिकल हॉल से 7 प्रतिबंधित एविल इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस छापेमारी में यह खुलासा हुआ कि मेडिकल संचालक द्वारा लंबे समय से एलर्जी में प्रयुक्त होने वाले इस इंजेक्शन की अवैध बिक्री युवाओं को नशे के रूप में की जा रही थी। यहां से 150 से 200 रुपये में इंजेक्शन बेचकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिससे शहर में नशे की लत लगातार बढ़ रही थी।



स्थानीय निवासियों के अनुसार, नशे की इस लत के कारण इलाके में कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एसडीओ अमित कुमार पटेल, एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह और थानाध्यक्ष चंद्रभानु के नेतृत्व में शहर के मेडिकल स्टोरों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल, आरोपी मेडिकल संच. ालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित इंजेक्शन की यह खेप कहां से लाई जाती थी। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

झपटमारी मामले के तीन आरोपी गिरफ्तार

एकंगरसराय (नालंदा) (आससे)। स्थानीय थाना पुलिस ने मोबाइल झपटमारी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरो. पियों को गिरफ्तार किया है। एकंगरसराय थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान तेल्हाड़ा थाने के नाराईच गांव निवासी नीतीश कुमार, विवेक कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटरसाइकिल और दो स्मार्ट फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की छानबीन कर रही है।

पावापुरी में निर्वाण महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज

बिहारशरीफ। विश्वप्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पावापुरी में 2552वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को लेकर प्रशासन और जैन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महोत्सव को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए राजगीर एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता और डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने समारोह स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। धार्मिक नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के निर्देश के तहत पावापुरी क्षेत्र में 3 नवंबर 2026 से मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात के लिए पावापुरी मोड़ से मुख्य समारोह स्थल तक और जल मंदिर के आसपास से अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं, विशिष्ट अतिथियों के आगमन को लेकर हेलीपैड निर्माण और महोत्सव स्थल पर एक विशाल पंडाल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। श्री पावापुरी जी दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र प्रबंधन समिति के सदस्यों के अनुसार, इस वर्ष महोत्सव में देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है,

बर्थडे पार्टी में बुलाकर डांसर के साथ गैंगरेप

पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

बिहारशरीफ। लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में बर्थडे पार्टी के बहाने आर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक डांसर युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पार्टी में शामिल दो युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से जबरन दुष्कर्म किया। इस पूरी घटना में कुल आठ लोग शामिल थे। सदर डीएसपी वन अमरनाथ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शहर के घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह की सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं।

बताया जाता है कि शिवपुरी मोहल्ले के एक मकान में कुछ युवक किराये पर रहते हैं और उस मकान में उनके अलावा अन्य कोई किराएदार नहीं रहता है। इन्हीं में से एक युवक का जन्मदिन था, जिसके जश्न के लिए पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में डांस कार्यक्रम के वास्ते आर्केस्ट्रा में काम करने वाली दो युवतियों को बुलाया गया था। पीड़िता के मुताबिक, दोनों युवतियां जब तय कमरे पर पहुंचीं, तो वहां पार्टी में शामिल अन्य युवक भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान किसी कारणवश दूसरी युवती वहां से चली गई, जिसके कुछ घंटे बाद पार्टी के दौरान कमरे में मौजूद दो युवकों ने पीड़िता के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की भनक लगते ही सदर डीएसपी वन अमरनाथ और लहेरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय दलबल के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को भांपते हुए एफएसएल की टीम को भी तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया। एफएसएल टीम ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण कर जांच के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया।

बिंद के जहाना में जमीन को लेकर दो गुटों के बीच तनाव

बिहारशरीफ। बिन्द थाना क्षेत्र के जहाना गांव में दो बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रविवार को दोनों पक्षों के दर्जनों लोग अपनी-अपनी गुहार लेकर थाने पहुंच गए और एक-दूसरे पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। एक पक्ष के विनोद कुमार, विजय कुमार व अन्य का कहना है कि उन्होंने यह जमीन खरीदी है और वर्ष 1959 से उनके किसान इस पर खेती कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के विजय पासवान व अन्य का दावा है कि यह जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी हुआ 181 हेल्पलाइन नंबर

शेखपुरा (आससे)। महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर शेखपुरा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं और छात्राएं सीधे 181 नंबर पर कॉल कर पुलिस की सहायता ले सकेंगी। पुलिस दीदी के माध्यम से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर छेड़खानी, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और असुरक्षा से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी में तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है। खासकर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को इस नंबर के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। पुलिस के अनुसार, हेल्पलाइन पर सूचना देने वाली महिला या छात्रा की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिले में पुलिस दीदी की टीम को भी सक्रिय किया गया है। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी और बाइक के माध्यम से शहर एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं। किसी भी स्थान से शिकायत या सूचना मिलने पर टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायता के लिए पहुंचती है। पुलिस की इस पहल से महिलाओं को अब अलग-अलग नंबरों की जानकारी रखने की जरूरत नहीं होगी। छेड़खानी, अभद्र व्यवहार या अन्य किसी तरह की परेशानी होने पर वे सीधे 181 नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या बता सकेंगी। इससे महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राजगीर में एसडीआरएफ ने विद्यार्थियों को सिखाये आपदा से बचाव के गुर

राजगीर (नालंदा) (आससे)। राजकीय डिग्री महाविद्यालय में आयोजित सात दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर के दौरान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को वज्रपात, बाढ़, भूकंप और सर्पदंश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। शि. विर में प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों की जान बचाने के गुर सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान वज्रपात से बचाव के लिए खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई। साथ ही, बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर जाने और पेयजल को उबालकर पीने के



बारे में बताया गया। भूकंप आने पर झुको, ढको और पकड़ो (ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन) के सिद्धांत का अभ्यास कराया गया और सुरक्षित निकासी की मॉक ड्रिल भी की गई। सर्पदंश के मामलों में अंधविश्वास और झाड़-फूंक से दूर रहकर बिना किसी विलंब के मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, जीवनरक्षक तकनीकों के तहत बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देने, हड्डी टूटने पर खपच्ची बांधने तथा प्राथमिक उपचार के तौर-तरीके सिखाए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकाल के लिए जागरूक और सक्षम बनाना है। शि. विर के अंतिम सत्र में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन का संकल्प भी लिया।

नशामुक्ति को लेकर जीविका दीदीयों ने प्रभात फेरी निकालकर किया जागरूक

शेखपुरा (आससे)। जिले में नशा मुक्त बिहार अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से रविवार को जीविका एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत शेखपुरा प्रखंड के ज्ञान दर्शन संकुल संघ एवं सर्वोत्तम संकुल संघ में जीविका दीदियों और ब्रह्माकुमारी बहनों ने प्रभात फेरी एवं जागरूकता रैली निकाल. कर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। अभियान के दौरान हाथों में नशा मुक्ति से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर महिलाओं ने गांव और मोहल्लों का भ्रमण किया। इसके बाद आयोजित परिचर्चा में नशे के कारण होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि नशे की लत से न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली और सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में जीविका दीदियों, ब्रह्माकुमारी बहनों एवं उपस्थित अन्य लोगों ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को भी हर प्रकार के नशे से मुक्त रखने की सामूहिक शपथ ली।

हिलसा में खानापूरी पर्चा का वितरण कार्य शुरू, रैयतों से मिलान की अपील

हिलसा (नालंदा) (आससे)। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर कार्यालय हिलसा में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निर्देश पर खानापूरी पर्चा वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले दिन मौजा गंगापुर थाना नंबर 75, त्रिलोक बिगहा थाना नंबर 180 तथा शेखोपुर थाना नंबर 179 के रैयतों और भू स्वामियों के बीच पर्चा का वितरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में रैयत पहुंचे और अपना पर्चा प्राप्त किया।अधिकारियों ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के तहत खानापूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित भूखंड का प्रारंभिक क्षेत्रफल रैयतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। खानापूरी पर्चा में रैयत का नाम, रकबा, खतियानी अंश और चौहद्दी का विवरण अंकित है। जिन अमीनों द्वारा रैयतों को पर्चा दिया गया है, उसमें दर्ज विवरण का रैयतों द्वारा मिलान करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है।शिविर प्रभारी ने सौरभ कुमार ने कहा कि पर्चा मिलने के बाद सभी रैयत अपने नाम पिता या पति का नाम, खाता खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी का बारीकी से मिलान करें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो निर्धारित समय सीमा सामान्यत: 30 दिनों के भीतर आवश्यक कागजात के साथ प्रपत्र 08 में दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए रैयत को जमीन से संबंधित खतियान, केवाला, रसीद, वंशावली या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दर्ज आपत्तियों की सुनवाई के बाद अभिलेखों में आवश्यक सुधार किया जाएगा। सुधार के बाद ही अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विशेष सर्वेक्षण अमीन दिनेश कुमार ने सभी भू स्वामियों से अपील की है कि वे स्वयं शिविर में आकर पर्चा प्राप्त करें और उसका मिलान अवश्य करें। किसी बिचौलिये के भरोसे न रहें। पर्चा न लेने या त्रुटि में सुधार न कराने पर भविष्य में भूमि विवाद और अभिलेखीय कठिनाई हो सकती है। शिविर कार्यालय में पर्चा वितरण के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि रैयतों को परेशानी न हो।

दलित बस्ती हैदरपुर गांव में महीनों से चापाकल खराब रहने से गहराया जलसंकट

एकंगरसराय (नालंदा) (आससे)। नारायणपुर पंचायत के दलित बस्ती हैदरपुर गाँव के वार्ड नंबर 06 में चापाकल खराब रहने से पेयजल संकट गहरा गया है। इस वार्ड में नल-जल योजना का मोटर खराब रहने के कारण एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है, जिससे पूरे वार्ड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग दूसरे टोले जाकर पानी ला रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

बैंकों में खुदरा रूपये देने के बहाने ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

शेखपुरा (आससे)। जिले के विभिन्न बैंकों में ग्राहकों को खुदरा रुपये देने के बहाने ठगी करने वाले गिरोह के दो शातिर बदमाशों को टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज कुमार उर्फ मनोज पांडे और रवि मिश्रा के रूप में हुई है। दोनों को पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों की संलिप्तता शेखपुरा के अलावा नालंदा, गया, औरंगाबाद सहित कई जिलों में हुई ठगी की घटनाओं में सामने आई है। रविवार को टाउन थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पचना गांव निवासी अफरोज आलम ने थाने में आवेदन देकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह केनरा बैंक की पचना शाखा में विद्यालय का पैसा जमा करने गए थे। इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति ने उनसे 100 और 200 रुपये के खुदरा नोट मांगे। कुल 26 हजार रुपये के खुदरा नोट देने के बदले आरोपी ने उन्हें 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी थमा दी। बाद में जब उन्होंने रुपये की गिनती की तो उसमें मात्र 500 रुपये के चार नोट मिले, जबकि बाकी नोट 100 और 50 रुपये के थे। इस तरह उनके साथ करीब 19 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह की ठगी की घटना कुसुंभा थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ भी हुई थी। इसके अलावा जिले के अन्य बैंकों के आसपास भी खुदरा रुपये बदलने के बहाने लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की और आरोपियों की तस्वीर सार्वजनिक कर लोगों से पहचान में सहयोग मांगा। समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में आरोपियों की तस्वीर प्रकाशित होने के बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों बख्तियारपुर में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने नया टोला में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरो. पियों ने बैंकों के आसपास इस तरीके से ठगी करने की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ शेखपुरा के अलावा अन्य जिलों के विभिन्न थानों में भी ठगी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। इनमें मुजफ्फरपुर के सरैया थाना, बख्तियारपुर थाना, बेलछी थाना सहित अन्य थाने शामिल हैं। इस मामले में एक अन्य आरा. ेपी अभी भी फरार चल रहा है। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश कुमार, रोशन कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

राजगीर की हर छत बनेगी बिजली घर, सोलर सिटी बनाने की मुहिम शुरू

उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा सोलर सिटी बनेगा राजगीर

राजगीर (नालंदा) (आससे)। पर्यटन नगरी राजगीर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल शुरू हो गयी है। इसके तहत शहर के हर घर, मकान, बहुमंजिली इमारत, होटल, धर्मशाला तथा सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनायी गयी है। रविवार को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (आरआईसीसी) में सोलर मेला-2026 का आयोजन किया गया। इसमें करीब 250 उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जबकि 53 लोगों ने मौके पर ही योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए पंजीकरण कराया।

कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सारा अशरफ, एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता, नगर सभापति जीरो देवी, विद्युत अधीक्षण अभियंता ई. कुमार प्रशांत, राजगीर के विद्युत कार्यपालक अभियंता ई. विपिन कुमार तथा बिहारशरीफ के विद्युत कार्यपालक अभियंता ई. विकास कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

इस मौके पर उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने राजगीर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना साझा की। उन्होंने कहा कि राजगीर को उत्तर भारत का पहला तथा मध्य प्रदेश के सांची के बाद देश का दूसरा सोलर सिटी बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। यह पहल केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने के लिए वार्डों के बीच सोलर ऊर्जा अपनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। जिस वार्ड में सबसे अधिक घरों और भवनों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे, वहां के बेहतर प्रदर्शन को सम्मानित किया जायेगा। पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा जायेगा। आगामी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों और पंचायतों को सम्मानित करने की योजना है।

एसडीओ ने बताया कि योजना का लाभ लेने में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रक्रियागत परेशानी नहीं हो, इसके लिए शीघ्र ही विशेष ऋण शिविर आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों में लंबित बैंक ऋण आवेदनों के निष्पादन और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गयी कि वे इन शिविरों में भाग लेकर योजना का लाभ उठायें और अपने घरों की छतों को बिजली उत्पादन का माध्यम बनायें।

सोलर कंपनियों ने लगाये प्रदर्शनी स्टॉल: मेले में प्रमाणित सोलर विक्रेताओं, बैंक प्रतिनिधियों, बिजली विभाग के अधिकारियों तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नियुक्त डेलॉइट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न कंपनियों की ओर से प्रदर्शनी स्टॉल लगाये गये थे। यहां उपभोक्ताओं को सोलर पैनल, इनवर्टर एवं अन्य उपकरणों, उनकी गुणवत्ता, स्थापना और रखरखाव से संबंधित जानकारी दी गयी। इच्छुक लोगों के लिए मौके पर ही पंजीकरण की व्यवस्था की गयी थी। इसका लाभ उठाते हुए 53 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया।

पेपरलेस जमीन निबंधन की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार

बिहारशरीफ। जिले में पेपरलेस जमीन निबंधन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अकेले बिहारशरीफ निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन 65 से 70 दस्तावेजों का निबंधन हो रहा है, जबकि हिलसा और राजगीर कार्यालयों को मिलाकर रोजाना करीब 110 जमीनों की खरीद-बिक्री हो रही है। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने बताया कि अगस्त 2026 से शुरू हुई इस आधुनिक व्यवस्था को लेकर अब लोगों की भ्रांतियां दूर हो रही हैं और वे इसके लाभों को समझने लगे हैं। पेपरलेस निबंधन से प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और लोगों के समय की भी काफी बचत हो रही है। रजिस्ट्री पूरी होने के तुरंत बाद खरीदार को दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जाता है, साथ ही उनके मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजने के साथ रजिस्टर्ड डीड की पीडीएफ कॉपी भी साझा की जाती है। दस्तावेजों पर मौजूद क्यूआर कोड की मदद से कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड या प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा, डिजिटल हस्ताक्षर के कारण दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ या नकल करना असंभव हो गया है।

मोबाइल छिनतई के दौरान बदमाशों ने युवक को मारी गोली

थरथरी (नालंदा) (संसू)। चंडी-थरथरी सड़क पर प्रसवन्ना मोड़ के पास शनिवार को मोबाइल छिनतई के दौरान बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। गोली प्रतापपुर गांव निवासी टुनटुन कुमार (19) के गले को छूते हुए निकल गई। घटना में युवक बाल-बाल बच गया। घायल प्रतापपुर निवासी टुनटुन कुमार ने बताया कि अपने दोस्त कैलाश मांझी के साथ प्रसवन्ना मोड़ स्थित पुल पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे। तभी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार तीन युवक थरथरी की ओर से आए और चंडी की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद तीनों वापस लौटे और कैलाश का मोबाइल छीन लिया। इसके बाद टुनटुन का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। टुनटुन ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। गोली उसके गले को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी।

शेखपुरा में फसल कटनी और कृषि सांख्यिकी को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

शेखपुरा (आससे)। कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में फसल कटनी और कृषि सांख्यिकी को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त राकेश कुमार ने किया। इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों और कर्मियों को फसल एवं फल-सब्जी कटनी प्रयोग, नेत्रंकन विधि द्वारा उपज दर का सटीक आकलन, मौसम के अनुसार शुद्ध सिंचित विवरणी और सिंचित क्षेत्रफल का डेटा तैयार करने के तौर-तरीके सिखाए गए। इसके साथ ही वर्षापात आंकड़ों के सही संकलन, द्रुत सर्वेक्षण योजना के तहत फसल क्षेत्रफल के आकलन और फसल सांख्यिकी सुधार योजना के तहत जमीनी जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी गई।

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडु

मांग सूचना

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (दि ॲक्ट) एवं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (दि रुल्स) की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरकर्ता चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी (निरापद) लेनदार का अधिनियम ते अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण एवं अनुभाग 13 (12) सहपाठित नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अनुभाग 13 (2) के अधीन, निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्रमशः सूचना (सूचनाओं) में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान हेतु 3 मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता तर्कसंगत रुप से विश्वास करता है कि ऋणी (ऋणियों) मांग सूचना / सूचनाओं की सेवा को डाला हैं। इसलिए सूचना की सेवा को प्रत्ययोजना एवं नियमानुसार प्रकाशित द्वारा प्रभावित किया गया है। मांग सूचना सूचनाओं की अंतर्वस्तु को यहां नीचे अवतरित किया जाता है।

अ. क्र.	ऋणी / ऋणियों एवं सहऋणी / ऋणियों का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	निरापद सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का विवरण
1	**ऋण खाता संख्या : LAP3SIW000136249** **1. श्री./ श्रीमती उत्कर्ष कुमार** **2. श्री./ श्रीमती प्रभादेवी (ऊर्फ) प्रभा देवी** **3. श्री./ श्रीमती अरुणवर्मा (ऊर्फ) अरुण वर्मा** **पता :** द्वारा, अरुण कुमार वर्मा, रघुनाथपुर, अमोदेई, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433, माध्यमिक विद्यालय के पास, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433; **इसके अलावा :** मौजा : अमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना : रामगढ़वा, थाना नंबर 68, खाता नंबर 125, जिला : पूर्वी चम्पारण, आमोदेई टोला, रघुनाथपुर, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, बिहार-845 305।	रु. 20,00,000/-	**09.10.2026** रु. **20,68,594/- (रुपये बीस लाख अड़सठ हज़ार पाँच सौ चौरानवे मात्र)** दि. **09.10.2026** तक	➤ **दस्तावेज़ के अनुसार पता** - खाता 125, खेसरा 1302, रकबा 0 एकर, 2.62 दशमलव (डिसिमल), हल्का रघुनाथपुर, अंचल : रामगढ़वा, मुजफ्फरपुर, रघुनाथपुर, माध्यमिक विद्यालय के पास, 1302, पूर्वी चंपारण, बिहार। ➤ **वास्तविकता के आधार पर पता** - प्लॉट नं. 1302 / मौजा : आमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना. रामगढ़वा, थाना नं. 68, खाता नं. 125, जिला : पूर्वी चंपारण - 845 305 बिहार। ➤ **वास्तविक के अनुसार - पूर्व :** 12 फीट चौड़ी सड़क; **पश्चिम :** एच/ओ. अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** एच/ओ. निज मोकिर (दादी); **दक्षिण :** एच/ओ. धर्मेन्द्र महतो। ➤ **विलेख के अनुसार के अनुसार - पूर्व :** निजी रोड; **पश्चिम :** अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** निज मोकिर; **दक्षिण :** धर्मेंद्र महतो।

ऋणी ऋणियों को ऐतद्‌ब द्वारा मांग सूचना (सूचनाओं की पालना की सलाह दी जाती एवं इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मय लागू व्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस किए प्रभारों, लागत एवं भुगतान की वसुली की दिनांक तक समस्त व्ययों जो यहां उपरोक्त वर्णित मांगी गई राशि का भुगतान देवें। ऋणी (ऋणियों) यह नोट कर लेवें कि **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** एक निरापद लेनेदार है एवं ऋणी (ऋणियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणी (ऋणियों द्वारा रखी गई अचल सम्पत्ति / परिसम्पत्तियों हैं जो निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों के विरुद्ध दिया गया निरापद कर्ज है। प्राणी ऋणियों) निर्धारित समय के भीतर पूर्ण रुपेण उनके दायित्वों देनेदारियों का निर्वहन के विफल होने की स्थिति में निरापद लेनदार निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) सहित परंतु अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत नियमों एवं भुगतान की वसुली के अधीन इसकी बिक्री द्वारा हस्तांतरित में सीमित या अन्य कोई उपलब्ध निदान प्रेरक द्वारा अधिनियम के अनुसार 13 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में लाने जाने का सर्वाधिक सुरक्षित है। निरापद लेन बिक्री के अधिकार को लागू करने या निरापद (सम्पत्तियों के स्थानांतरण आगामी बिक्री करने के पूर्व **संलग्न एवं / या सील** करने का भी शक्ति प्राप्त है। निरापद लेनदार शेष राशि की वसुली में कानूनी कार्यवाह प्रारंभ करने का भी अधिकार है, यदि निरापद लेनेदार में बकाया देय की वसुली में सम्पत्ति अपर्याप्त पाई जाती है। इस निदान के अतिरिक्त एवं अन्य कोई कानून के अधीन निरापद लेनदार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

ऋणी (ऋणियों) का ध्यान, अधिनियम के अनुभाग 13 (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे उपलब्ध समय के निरापद सम्पत्तियों को छुडवा लेवें एवं द्वारा स्थानान्तरित किये जाने, पट्टे पर देना या अन्यथा (व्यवसाय के अन्य कोई साधारण अवस्था में) बगैर पूर्व लिखित सूचना एवं गैर अनुपालन नहीं करे, यदि ऐसा किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के अनुभाग 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मांग सूचना की प्रतिलिपि है एवं ऋणी (ऋणियों) यदि वे चाहे ते कार्यालय ते नियत समय एवं कार्यदिवस में इस सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : पूर्वी चम्पारण, बिहार
दिनांक : 09.10.2026
कृते **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडु

ई-नीलामी विक्रय सूचना (विक्री केवल ई-बोली के माध्यम से)

2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधानों के अधीन अचल सुरक्षित आस्तियों के विक्रय के लिए बिक्री सूचना।

आमजन और विशेष रुप से **कॉलम (ए)** में दर्शाए गए ऋणधारक(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति(यां) जो कि **कॉलम (सी)** मे दर्शाई गई है का **कॉलम (डी)** में उल्लेखित रचनात्मक / भौतिक कब्जा का बंधक / प्रभात सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है जिसको सुरक्षित लेनदार, **हाऊसिंग चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **जहाँ लै जैसा है, जैसा है जो है और जो कुछ भी वहां है** के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम **8 (6)** के अधीन यहां ऋणधारक / बंधककर्ता(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहें ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(रों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों) और माननीय ऋणधारक / बंधनकर्ता(ओं) (मृतक के पश्चात) के वारिस (रों) जैसा कॉलम (ए) में इंगित किया गया है, चो यह नोटिस दिया जा रहा है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार, चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाईट यानी **https://www.cholamandalam.com** और **www.auctionfocus.in** में दिए गये लिंक को देखें।

क्र. सं.	(ए) ऋण खाता संख्या ऋणधारक(कों) / बंधककर्ता(ओं) / जमानदार(रों) के नाम	(बी) बकाया राशि जो वसूल की जाती है। (सुरक्षित बकाया)	(सी) अचल सम्पत्ति / सुरक्षित आस्ति का विवरण	(डी) कब्जे का प्रकार	(ई और एफ) आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि जमा (रुपये में)	(जी) नीलामी को तिथि और समय
1.	**खाता क्र. संख्या : HL25HJP000070986** **1. श्री. / सुश्री नरेश राय २. श्री. / सुश्री राम रे ३. श्री. / सुश्री पुनम देवी क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता :** द्वारा, राम सागर राय, मानिकपुर पकड़ी, वैशाली, स्कूल के पास, लालगंज, बिहार-844 121। **क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता :** खेसरा संख्या 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : मानिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-8441 21।	**01.07.2026 तक ₹ 20,01,382/- (रुपये बीस लाख एक हज़ार तीन सौ बयासी मात्र)**	खेसरा संख्या : 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : माणिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-844 121। ➤**वास्तविकता के आधार पर - उत्तर :** नीज; **दक्षिण :** नीज; **पूर्व :** नीज रास्ता; **पश्चिम :** 10 फीट पीसीसी सड़क । ➤**विलेख के अनुसार - उत्तर :** नीज मनमोकिर; **दक्षिण :** नीज मनमोकिर; **पूर्व :** खरीदार; **पश्चिम :** सड़क।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 65,34,000/- (रुपये पैंसठ लाख चौंतीस हज़ार मात्र)** / **₹ 6,53,400/- (रुपये छह लाख तिरपन हजार चार सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**
2.	**खाता क्र. संख्या : LAP3ARH000114378** **1. श्री. / सुश्री गजेंद्र सिंह २. श्रीमान/सुश्री राज देवी ३. श्री. / सुश्री उपेन्द्र सिंह ४. श्री. / सुश्री मीरा देवी ५. श्री. / सुश्री हरदेव सिंह क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता :** द्वारा, हरदेव प्रसाद सिंह, गांव : बालूनी, गोवर्धन मूर्ति के पास, भोजपुर, बिहार-802 201। **क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता :** खेसरा संख्या : 2023, खाता संख्या : 342, मौजा : भेलाई, थाना : उदवंतनगर, अंचल : उदवंतनगर, उप-पंजिकृत कार्यालय : आरा, थाना नं. 228, भेलाई, उदावंतनगर, आरा, बिहार-802 302।	**13.04.2026 तक ₹ 25,59,862/- (रुपये पच्चीस लाख उनसठ हजार आठ सौ बासठ मात्र)**	खाता नंबर 342 खेसरा नंबर 2023, मौजा भेलाई, उदवंतनगर, यूनिवर्सिटी के पास, 2023, भोजपुर, बिहार। ➤**जांच के अनुसार - उत्तर :** 10 फीट कच्ची रास्ता फिर रामाशंकर सिंह; **दक्षिण :** रामजी सिंह (प्लॉट); **पूर्व :** हरेराम यादव (नए मालिक); **पश्चिम :** सतीश सिंह (प्लॉट)। ➤**विलेख के अनुसार - उत्तर :** रामाशंकर सिंह वा रास्ता 4 फीट X 4 फीट; **दक्षिण :** रामजी सिंह हिसेदार; **पूर्व :** निज मोकिर; **पश्चिम :** सतीश सिंह हाल बैदर।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 54,09,000/- (रुपये चौवन लाख नौ हज़ार मात्र)** / **₹ 5,40,900/- (रुपये पाँच लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**

निरीक्षण दिनांक और समय : **02.12.2026** को प्रातः **11.00** बजे से सायं. **4.00** बजे के बीच | न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : रु. **10,000/-**

बोली / ईएमडी / भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तारीख : **03.12.2026** शाम **05.00** बजे तक।

*** ऋण अनुबंध की शर्तो के संदर्भ में लागू आगामी ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभातों आदि सहित भुगतान और / या उसकी वसूली की तारीख तक खर्च।**

संपत्ति के निरीक्षण के संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया **1. मनोज कुमार पाण्डे, भ्रमणध्वनी क्र. : 9835422089 और ई-मेल : manojkumarpc@chola.murugappa.com 2. केशव कुमार, भ्रमणध्वनी क्र. : 9386742491 और ई-मेल : kumarp@chola.murugappa.com** पर सम्पर्क करें। **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों / सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई बाधा नहीं है।

हस्ताक्षर/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 31.10.2026
स्थान : वैशाली / आरा, बिहार
कृते चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड